रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 1985/भाद्र 12, 1907
No. 422] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 1985/BHADRA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1985

का. आ. 648 (अ) :—जबकि केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् पूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भगठित हिंसा की घटनाओं के आरोपों की जांच करने के लिए, अधिसूचना सं. 362 अ), तारीख 26 अप्रैल, 1985 के तहत, उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया हुआ है ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त आयोग, सार्वजनिक महत्व के कुछ निश्चित मामलों, अर्थात्, पूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो और कानपुर में हुए दंगों की भी जांच करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में :—

(क) विषय संख्या (1) में, "आरोपों" शब्द के बाद, "और बोकारो एवं कानपुर में हुए दंगों" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) विषय संख्या (2) में, "ऐसी घटनाओं" शब्दों के स्थान पर "ऐसी घटनाओं और दंगों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 2-14013/28/84-आई. एस. (यू एस. डी.-5)]

मोती लाल कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1985

S.O. 648(E).—Whereas the Central Government has appointed a Commission of Inquiry presided over by Shri Justice Ranganath Misra, a sitting Judge of Supreme Court vide notification No. S.O. 362(E) dated the 26th April, 1985 for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance,

namely, the allegations in regard to the incidents of organised violence in Delhi following the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister ;

AND WHEREAS, the Central Government is of opinion that the aforesaid Commission should also enquire into and report on certain definite matters of public importance, namely, disturbances at Bokaro and Kanpur following the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely :—

In paragraph 3 of the said notification,—

(a) in item (i), after the word 'Delhi', the words "and into the disturbances which took place at Bokaro and Kanpur", shall be inserted ;

(b) in item (ii), for the words "such incidents", the words "such incidents and disturbances" shall be substituted.

[No. F II-14013/28/84-IS(US : DV)]

M. L. KOUL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 1985/भाद्र 12, 1907
No. 423] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3 1985 BHADRA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

[विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय]

आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1985

का. आ. 649 (अ).— केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश स का. आ. 522 (अ) तारीख 28 अगस्त, 1982 को अधिक्रांत करते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) मे यथा विनिर्दिष्ट कीमतों का उस अधिकतम कीमत के रूप मे नियत करती है, जिस पर, उक्त सारणी क स्तम्भ (2) मे की तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट स्वदश मे विनिर्मित प्रत्येक औषधि का प्रपुज मे विक्रय किया जाएगा।

सारणी

क्रम स.	प्रपुज औषधि का नाम	प्रति कि.ग्रा. अधिकतम विक्रय कीमत रु०
(1)	(2)	(3)
1.	विटामिन बी 1 हाइड्रोक्लोराइड (मुखीय श्रेणी)	950.00
2	विटामिन बी 1 हाइड्रोक्लोराइड (एम्पयुल श्रेणी)	1005.00
3	विटामिन बी 1 मानानाइट्रेट	1011.50

[स 8(36)/85-औषधि-II]

डा. आर वी वेंकटनाथ अय्यर, संयुक्तसचिव एव विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1985

S.O 649(E)- In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order 1979, and in supersession of the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No S O 522(E), dated the 28th August, 1982, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (3) of the Table below as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold

TABLE

Sl. No.	Name of the bulk drug	Maximum sale price Rupees per Kilogram
(1)	(2)	(3)
1	Vitamin B1 Hydrochloride (Oral grade)	950 00
2.	Vitamin B1 Hydrochloride (Ampoule Grade)	1005.00
3.	Vitamin B1 Mono-Nitrate	1011.50

[No. 8(36)/85-Drug-II]

DR. R.V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy. and Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985